1. राजस्थान राज्य

..... अभियोगी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, निवासी नागड़ी, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर (राजस्थान)

..... अभियुक्त

उपस्थितिः-

1. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट अपर लोक अभियोजक
2. अभियुक्त की ओर से - श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, एडवोकेट

अपराध की दिनांक	23.07.2014
एफआईआर दर्ज कराने की दिनांक	23.07.2014
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	20.12.2014
आरोप विरचित करने की दिनांक	29.07.2016
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	29.07.2016
बहस अंतिम की दिनांक	15.04.2026, 29.04.2026
निर्णय दिनांक	29.04.2026
दण्डादेश की दिनांक (If Any)	29.04.2026

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	भंवरसिंह	23.07.2014	13.08.2014	8/15 NDPS Act	**दोषसिद्ध**	07 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये जुर्माना, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।	PC दिनांक 23.07.2014 से 26.07.2014 तक, JC दिनांक 26.07.2014 से 13.08.2014 तक एवं दिनांक 15.01.2018 से दिनांक 16.01.2018 तक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	सहदेव	मौके का गवाह
पी.ड. 2	जगदीश	मौके का गवाह
पी.ड. 3	माधाराम	मौके का गवाह
पी.ड. 4	लक्ष्मणराम	मौके का गवाह

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 5	उम्मेदसिंह	मौके का गवाह
पी.ड. 6	राजेश	सैम्पल कैरियर
पी.ड. 7	ताजाराम	मौके का स्वतंत्र गवाह
पी.ड. 8	प्रेमराज	वाहन इण्डिगो के स्वामित्व के संबंध में
पी.ड. 9	नेमीचन्द	धारा 42 व 57 की सूचना एसपी नागौर को पहुंचाने का गवाह
पी.ड. 10	चंदाराम	एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र जारी करने के संबंध में
पी.ड. 11	भगवानाराम	मालखाना इंचार्ज
पी.ड. 12	छीतर सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 13	भारत रावत	जब्ती अधिकारी

(ब) **प्रतिरक्षा साक्षी-** निल

(स) **न्यायालय साक्षी-** निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) **अभियोजन दस्तावेजातः-**

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण	Proved By/Attested By
1.	प्रदर्श पी 1	फर्द चैंकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त	पी.ड. 1, पी.ड. 2, पी.ड. 4, पी.ड. 5, पी.ड. 13
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त	पी.ड. 1, पी.ड. 2, पी.ड. 13
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द जब्ती इण्डिगो कार नंबर आर जे 21 टीए 1310	पी.ड. 1, पी.ड. 2, पी.ड. 13
4.	प्रदर्श पी 4	फर्द जब्ती इण्डिगो कार नंबर आर जे 21 टीए 1310 का असल रजिस्ट्रेशन व परमिट	पी.ड. 1, पी.ड. 2, पी.ड. 13
5.	प्रदर्श पी 5	फर्द पहचान मादक पदार्थ	पी.ड. 2, , पी.ड. 13
6.	प्रदर्श पी 6	पुलिस थाना खींवसर का अग्रेषण पत्र	पी.ड. 6
7.	प्रदर्श पी 7	पुलिस अधीक्षक, नागौर का अग्रेषण पत्र	पी.ड. 6, पी.ड. 10
8.	प्रदर्श पी 8	एफएसएल प्राप्ति रसीद	पी.ड. 6, पी.ड. 12
9.	प्रदर्श पी 9	पुलिस बयान गवाह ताजाराम	पी.ड. 7
10.	प्रदर्श पी 10	थानाधिकारी द्वारा जिला परिहवन अधिकारी को लिखा गया पत्र	पी.ड. 8, पी.ड. 12
11.	प्रदर्श पी 11	फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 42 एनडीपीएस एक्ट	पी.ड. 9, पी.ड. 13
12.	प्रदर्श पी 12	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना	पी.ड. 9
13.	प्रदर्श पी 13	नक्शा मौका घटनास्थल	पी.ड. 12, पी.ड. 13

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण	Proved By/Attested By
14.	प्रदर्श पी 14 लगायत 16	रोजनामचा रपट	पी.ड. 12
15.	प्रदर्श पी 17	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.ड. 12
16.	प्रदर्श पी 18	हुक्मनामा वास्ते स्वतंत्र मौतबीर	
17.	प्रदर्श पी 19	फर्द सील नष्टीकरण	पी.ड. 13
18.	प्रदर्श पी 20	फर्द रिसील मादक पदार्थ	पी.ड. 13
19.	प्रदर्श पी 21	इन्वेंट्री रिपोर्ट	पी.ड. 13
20.	प्रदर्श पी 22	इनेन्ट्री के सत्यापन का प्रमाण पत्र	पी.ड. 13
21.	प्रदर्श पी 23	चिट चेपा मार्क 1	पी.ड. 13
22.	प्रदर्श पी 24	चिट चेपा मार्क 2	पी.ड. 13
23.	प्रदर्श पी 25	प्रतिनिधि सैम्पल चिट चेपा मार्क 'S'	पी.ड. 13
24.	प्रदर्श पी 26 लगायत 28	इन्वेन्ट्री फोटोग्राफ्स	पी.ड. 13
25.	प्रदर्श पी 29	एफएसएल रिपोर्ट	पी.ड. 13
26.	प्रदर्श पी 30	चाक एफआईआर	पी.ड. 13

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण	Proved By/Attested By
1.	प्रदर्श डी 1	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना	पी.ड. 13

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल

(द) आर्टिकल्स की सूचीः-

क्रम सं.	आर्टिकल नंबर	विवरण	Proved By/Attested By
1.	आर्टिकल 1	नमूना सैम्पल	पी.ड. 13

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

निर्णय

दिनांक 29.04.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2014 को थानाधिकारी भारत रावत, पुलिस थाना खींवसर ने मय जाप्ता, सील्डशुदा आर्टिकल मार्क A, B, C व जब्तशुदा वाहन इण्डिगो नंबर आर जे 21 टीए 1310, इण्डिगो वाहन के दस्तावेज तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त भंवरसिंह के थाना पहुंच कर फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त इस आशय की पेश की कि दिनांक 23.07.2014 को उसे जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि 'NH 65 पर सरहद लालावास-खींवसर पर जोगेश्वर भोजनालय के पीछे एक सफेद इण्डिगो कार खड़ी है,

जिसके काले कांच है। रजिस्ट्रेशन नंबर आर जे 21 टीए 1310 है। इस गाड़ी का मालिक भंवरसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी नागड़ी, थाना खींवसर का है। यही व्यक्ति जोगेश्वर भोजनालय चलाता है। भंवरसिंह की इस गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त रखा हुआ है, जिसके भंवरसिंह मौका पाकर अन्यत्र शिफ्ट करने वाला है। तुरन्त कार्यवाही करने पर पकड़ा जा सकता है।' सूचना विश्वसनीय होने से उसके द्वारा रोजनामचा आम में रपट अंकित की गई। धारा 42(1) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत फर्द सूचना मुर्तिब कर बजरिए कांस्टेबल नेमीचन्द नंबर 1372 के सूचना उच्चाधिकारी नागौर को प्रेषित की गई। कार्यवाही हेतु वह मय जाप्ता कांस्टेबल LC लक्ष्मणराम नंबर 499, कांस्टेबल सहदेव नंबर 572, कांस्टेबल जगदीश नंबर 1483, कांस्टेबल चालक उम्मेदसिंह नंबर 1262, कांस्टेबल चालक माधाराम नंबर 1241 मय सरकारी जीप नंबर आर जे 21 यूए 8582 मय अनुसंधान बॉक्स के समय 08:00 पीएम पर थाना हाजा से रवाना होकर जाप्ता को मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया। थाना से रवाना होकर समय 08:10 पीएम पर वह मय जाप्ता मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर होटल से निकल कर तेजी से पीछे की तरफ भागा एवं वहां खड़ी सफेद इण्डिगो कार को स्टार्ट कर हाईवे पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन उसने जाप्ता की सहायता से घेरा देकर व सरकारी जीप को आडे लगाकर सफेद इण्डिगो कार को रोक लिया एवं उसमें बैठे चालक को नीचे उतारकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी नागड़ी, थाना खींवसर होना बताया। उक्त व्यक्ति भंवरसिंह से इस तरह गाड़ी लेकर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त रखा हुआ है। इस प्रकार मुखबीर सूचना की पुष्टि होने पर उसके द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कांस्टेबल चालक माधाराम नंबर 1241 को समय 08:30 पीएम पर लिखित में हुक्मनामा बाबत् स्वतंत्र गवाहों की तलबी दिया जाकर मौके से रवाना किया गया। समय 08:45 पीएम पर कांस्टेबल चालक माधाराम नंबर 1241 पुनः उपस्थित आया एवं लिखित में हालात अर्ज किए कि गांव का ही व्यक्ति होने से एवं कानूनी पेचीदगियों के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जिस पर उसके द्वारा जाप्ता में से कांस्टेबल सहदेव 572 व जगदीश कांस्टेबल 1483 को स्वतंत्र मौतबीर मामूर किया गया व अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मामूर मौतबिरान के समक्ष उसके द्वारा सफेद इण्डिगो कार रजिस्ट्रेशन नंबर आर जे 21 टीए 1310 की तलाशी ली गई तो कार की पीछे वाली सीट पर एक टाट की बोरी मिली, जिसका मुंह खोला तो उसमें मादक पदार्थ डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। उसने व जाप्ता ने मादक पदार्थ को देखा, सूंघा व चखा एवं ज्ञान व अनुभव के आधार पर डोडा पोस्त होना पाया। निरुद्ध किए गए व्यक्ति भंवरसिंह से इस प्रकार डोडा पोस्त का परिवहन करने बाबत् लाइसेंस व परमिट आदि होने का पूछा गया तो नहीं होना बताया। फर्द पहचान मादक पदार्थ मुर्तिब की गई। अवैध डोडा पोस्त को बोरे से खाली किया जाकर मुलजिम भंवरसिंह की ही दुकान अंकिता टेलिकॉम से तराजू बाट लिए जाकर डोडा पोस्त का वजन किया गया तो 08 किलो वजन होना पाया गया। इस प्रकार मुलजिम अभियुक्त भंवरसिंह द्वारा अवैध डोडा पोस्त का परिवहन करना, अपने कब्जे में रखना धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से अभियुक्त भंवरसिंह को उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अवैध डोडा पोस्त में से 500-500 ग्राम डोडा पोस्त बतौर नमूना सैम्पल एवं कंट्रोल सैम्पल निकालकर सफेद कपड़े की थैलियों में भरकर उसके द्वारा निजी सील से सील्ड मोहर किया गया। नमूना सैम्पल पर मार्क 'A' व कंट्रोल सैम्पल पर मार्क 'B' अंकित किया गया। शेष बचे 7 किलो डोडा पोस्त को उसी टाट की बोरी में रखा जाकर उसके द्वारा अपनी निजी सील से सील मोहर कर पैकेट पर मार्क 'C' अंकित किया गया। चूंकि अवैध डोडा पोस्त सफेद इण्डिगो कार रजिस्ट्रेशन नंबर आर जे 21 टीए 1310 में परिवहन किया जा

रहा था। अतः उक्त कार को बतौर वजह सबूत जरिए फर्द पृथक से जब्त किया गया। उक्त वाहन की तलाशी में मिले कागजात मूल आरसी टैक्सी परमिट व फिटनेस से उक्त वाहन का मालिक मुलजिम भंवरसिंह ही होना पाया गया। उक्त दस्तावेजों को जरिए फर्द पृथक से जब्त किया गया। उसके द्वारा अपनी निजी सील को मौके पर ही पत्थर की चोट मारकर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण सील मुर्तिब की गई। नमूना सील अंकित की गई। फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन-समझ सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किए। मय जाप्ता, जाब्तशुदा आर्टिकल्स, जब्तशुदा इण्डिगो कार, गिरफ्तारशुदा मुलजिम भंवरसिंह मय फर्दात के रवाना थाना हुआ....आदि।

2. उक्त फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ के आधार पर पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर द्वारा एफआईआर नंबर 116/2014 अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्तानुसार धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।

3. दिनांक 29.07.2016 को पत्रावली पर मौजूद सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध बनना पाए जाने से उक्त धारा का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से अपनी कहानी के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में उपर्युक्त सारणी अनुसार कुल 13 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 30 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये गये तथा कुल 01 आर्टिकल पेश किया गया।

5. दिनांक 20.02.2026 को अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन के गवाहान द्वारा किए गए कथनों को गलत बताया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अन्त में साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बहस अंतिम सुनी गई।

6. उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने मुलजिमान के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे जाकर आरोपित आरोपों को प्रमाणित किया है। धारा 42, 55, 57 आदि की अनुपालना पूर्ण रूप से हस्तगत प्रकरण में की गई है और अभियोजन ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन ने आरोपित आरोपों को श्रृंखलाबद्ध रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर युक्तियुक्त संदेह से परे जाकर प्रमाणित किया है। अतः मुलजिमान को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियोजन ने आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा हस्तगत प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही रहा है और चश्मदीद गवाह के रूप में जिन पुलिसकर्मियों को परीक्षित करवाया गया है उनके बयानों में भी भारी विरोधाभास देखने को मिलता है। फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 19 के अनुसार जिस सील से जरिये प्रदर्श पी 1 माल वजह सबूत जप्त कर सील बंद किया जाना बताया गया है वह

सील जप्ती से पूर्व ही नष्ट की जा चुकी थी। ऐसे में अभियोजन की संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही दूषित हो जाती है। अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जावें।

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु ये हैं किः-

    1. आया दिनांक 23.07.2014 को समय 08:10 पीएम पर या उसके लगभग नेशनल हाइवे नंबर 65 पर सरहद लालावास-खींवसर पर जोगेश्वर भोजनालय के पीछे अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे से सफेद इण्डिगो कार नंबर आर जे 21 टीए 1310 में पीछे वाली सीट पर टाट की बोरी में 8 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसको अपने कब्जे में रखने, विक्रय करने व परिवहन करने के संबंध में अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था?

    2. इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो उचित दंड क्या होगा?

-उपर्युक्त अवधार्य बिन्दुओं पर न्यायालय का विनिश्चय-

9. अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर सुविधा की दृष्टि से निष्कर्ष निम्नानुसार हैः-

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना के संबंध में विश्लेषण

10. अधिवक्ता अभियुक्त का इस संबंध में यह तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की पालना नहीं की गई है, जो आज्ञापक प्रावधान है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जावे। अभियोजन का इस संबंध में कथन किया है कि धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से की गई है।

11. यह निर्विवादित स्थिति है कि हस्तगत प्रकरण में बरामदगी मुखबीर की पूर्व सूचना पर की गई है। धारा 42(1) एनडीपीएस एक्ट यह उपबंधित करता है कि जहाँ जब्ती अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारण्ट या प्राधिकार, साक्ष्य छुपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के उपरान्त तलाशी ले सकता है।

12. धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट यह उपबंधित करती है कि धारा 42(1) के तहत जो इत्तिला लेखबद्ध की गई है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यहित पदीय वरिष्ठ को 72 घंटे के भीतर भेजेगा।

13. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.ड. 13, भरत रावत परीक्षित हुआ है जो अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह दिनांक 23.07.2014 को खीवंसर में एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन साढ़े सात पीएम पर उसे मुखबिर की सूचना मिली की एचएच 65 सरहद लालावास जोगेश्वर भोजनालय के पीछे भंवरसिंह निवासी नागडी की सफेद इंडिगो कार आरजे 21 टीए 1310 खड़ी है जिसमें अवैध डोडा पोस्त है। इस सूचना पर धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की सूचना मुर्तिब कर जरिये कानि. नेमीचंद के उच्चाधिकारी को सूचना भेजी और उसके पश्चात वह जप्ती कार्यवाही हेतु थाने से 8.00 पीएम पर रवाना हुआ। धारा 42 की इत्तिला प्रदर्श पी 11 के रूप में प्रदर्शित हुई है। धारा 42 की इत्तिला लेखबद्ध करने का रोजनामचा शामिल पत्रावली है जो इसी तथ्य की ताइद करता है कि मुखबिर की इत्तिला प्राप्त होने पर धारा 42 की इत्तिला लेखबद्ध की गयी। धारा

42 की इत्तिला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(2) के तहत उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी है जिसकी पुष्टि पी.ड. 13 जप्ती अधिकारी भरत रावत ने की है। धारा 42(2) की इत्तिला को उच्चाधिकारियों को पहुंचाने वाला गवाह नेमीचंद पी.ड. 9 के रूप में परीक्षित हुआ है। यह साक्षी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 42 की इत्तिला उच्चाधिकारी को उसके द्वारा पहुंचायी गई तथा प्रदर्श पी 11 पर प्राप्ति का अंकन होकर उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 14 व 15 के रूप में प्रदर्शित हुई है, जो इस तथ्य की ताइद करती है कि यह गवाह नेमीचंद पीडब्ल्यू 9 पुलिस अधीक्षक नागौर व सीओ वृत्त नागौर को उक्त सूचना देने के लिए रवाना हुआ और सूचना देकर वापस थाने गया है। प्रदर्श पी 11 पर जी से एच भाग में धारा 42 एनडीपीएस अधिनियम के तहत सूचना विरचित करने वाले व उच्चाधिकारियों को भेजने वाले थानाधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त फर्द इत्तिला पर ए से बी भाग में प्राप्ति का अंकन होकर दिनांक 23.07.2014 व समय 10.00 पीएम अंकित है। उक्त इत्तिला पर प्राप्तिकर्ता के रूप में जो सी से डी भाग में हस्ताक्षर है, उसके संबंध में पी.ड. 9 नेमीचंद ने उक्त हस्ताक्षर एडिशनल एसपी लक्ष्मण गौड़ के होने बताये है जबकि भरत रावत जप्ती अधिकारी पी.ड. 13 ने प्रदर्श पी 11 पर सी से डी भाग पर हस्ताक्षर सीओ साहब भंवरलाल जी सिसोदिया के होने बताये हैं। दस्तावेज प्रदर्श पी 11 के अवलोकन से तथा रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 14 व 15 के अवलोकन से यह तथ्य साबित हो जाता है कि धारा 42 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुखबिर की इत्तिला को नियमानुसार लेखबद्ध किया गया और उस इत्तिला को धारा 42(2) में विहित अवधि में उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया। चूंकि उक्त इत्तिला एसपी और सीओ दोनों को प्रेषित की गयी है इसलिए जप्ती अधिकारी पी.ड. 13 व पी.ड. 9 नेमीचंद जो इस सूचना के कैरियर है, द्वारा इस बाबत विपरीत कथन कि उक्त हस्ताक्षर सीओ नागौर के है या एसपी नागौर के, इससे अभियेाजन के मामले पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। चूंकि अभियेाजन ने यह तथ्य साबित किया है कि धारा 42(2) एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुखबिर सूचना अभिलिखित करते हुए उसे उच्चाधिकारियों को विहित समयावधि में प्रेषित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पूर्णतया ताईद होती है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की पूर्ण अनुपालना की गई है। उपरोक्त विश्लेषणानुसार अधिवक्ता अभियुक्त का धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना नहीं होने का कथन किसी भी दृष्टि से मानने लायक नहीं है।अधिवक्ता अभियुक्त का इस संबंध में यह तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की पालना नहीं की गई है, जो आज्ञापक प्रावधान है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जावे। अभियोजन का इस संबंध में कथन किया है कि धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से की गई है।

धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना के संबंध में विश्लेषण

14. अधिवक्ता अभियुक्त का धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के संबंध में कथन है कि धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। अभियुक्त की तलाशी राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष नहीं ली गई है, पुलिस जाप्ते द्वारा ली गई है और पुलिस जाप्ते के संबंध में अभियुक्त द्वारा तलाशी लिए जाने के संबंध में अपनी सहमति दी गयी हो, इस तरह का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान आज्ञापक है। ऐसे में प्रकरण में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं क्योंकि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गई है बल्कि उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई है और उसमें से मादक पदार्थ बरामद हुआ है।

अतः धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होने से अभियुक्त को उठाई गई उक्त आपत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

15. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की कशीद की गई इत्तिला प्रदर्श पी 11 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि स्पष्ट रूप से इस बाबत् मुखबीर की इत्तिला प्राप्त हुई है कि जोगेश्वर भोजनालय के पीछे एक सफेद इंडिगो कार खड़ी है, जिसके काले कांच हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नं आरजे 21 टीए 1310 है। उस गाड़ी का मालिक भंवरसिंह है। गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त रखा हुआ है। इस प्रकार धारा 42 की इत्तिला स्पष्ट रूप से गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त रखे जाने के संबंध में प्राप्त हुई है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से यही दृष्टिगत होता है कि पुलिस जाप्ते द्वारा उक्त गाड़ी इंडिगो कार रजिस्ट्रेशन नं आरजे 21 टीए 1310 की तलाशी ली गयी तो उसकी पीछे वाली सीट पर उक्त मादक पदार्थ बरामद हुआ है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 व मौके के गवाहान के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी हस्तगत प्रकरण में नहीं ली गयी है और न ही हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा अवैध डोडा पोस्त अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से बरामद हुआ है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **State of Himachal Pradesh Vs Pawan Kumar 2005 (4) SCC 350** में यह अभिनिर्धारित किया है किः-

> "A bag, briefcase or any such article or container, etc. can, under no circumstances, be treated as body of a human-being. They are given a separate name and are identifiable as such. They cannot even remotely be treated to be part of the body of a human being. Depending upon the physical capacity of a person, he may carry any number of items like a bag, a briefcase, a suitcase, a tin box, a thaila, a jhola, a gathri, a holdall, a carton, etc, of varying size, dimension or weight."

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **Criminal Appeal Nos. 1565-66 of 2019 State of Punjab Vs Baljinder Singh & Anr.** में यह अभिनिर्धारित किया हैः-

> "As regards applicability of the requirements under Section 50 of the Act are concerned, it is well settled that the mandate of Section 50 of the Act is confined to "personal search" and not to search of a vehicle or a container or premises.
>
> The conclusion (3) as recorded by the Constitution Bench in Para 57 of its judgment in Baldev Singh clearly states that the conviction may not be based "only" on the basis of possession of an illicit article recovered from personal search in violation of the requirements under Section 50 of the Act but if there be other evidence on record, such material can certainly be looked into.
>
> In the instant case, the personal search of the accused did not result in recovery of any contraband. Even if there was any such recovery, the same could not be relied upon for want of compliance of the

requirements of Section 50 of the Act. But the search of the vehicle and recovery of contraband pursuant thereto having stood proved, merely because there was non-compliance of Section 50 of the Act as far as "personal search" was concerned, no benefit can be extended so as to invalidate the effect of recovery from the search of the vehicle. Any such idea would be directly in the teeth of conclusion (3) as aforesaid.

The decision of this Court in Dilip's case, however, has not adverted to the distinction as discussed hereinabove and proceeded to confer advantage upon the accused even in respect of recovery from the vehicle, on the ground that the requirements of Section 50 relating to personal search were not complied with. In our view, the decision of this Court in said judgment in Dilip's case is not correct and is opposed to the law laid down by this Court in Baldev Singh and other judgments.

Since in the present matter, seven bags of poppy husk each weighing 34 kgs. were found from the vehicle which was being driven by accused- Baljinder Singh with the other accused accompanying him, their presence and possession of the contraband material stood completely established.

In the circumstances, the acquittal recorded by the High Court, in our considered view, was not correct. We, therefore, set aside the view taken by the High Court.

While allowing this appeal, we restore the order of conviction recorded by the Trial Court and hold accused Baljinder Singh and Khushi Khan to be guilty of the offence punishable under Section 50 of the Act. We, however, reduce their substantive sentence from 12 years to 10 years while maintaining other incidents of sentence namely, the payment of fine and the default sentence unaltered.

The appeals stand allowed in aforesaid terms."

18. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसके बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टीन के बॉक्स, थैला, झोला, गठरी, कार्टून आदि में कोई मादक पदार्थ बरामद होता है, तो वहां धारा 50 की अनुपालना किए जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट रूप से मुखबीर की इत्तिला अभियुक्त की कार में मादक पदार्थ बरामद होने की प्राप्त हुई थी और दस्तावेजी साक्ष्य धारा 42 की इत्तिला प्रदर्श पी 11 तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 एवं मौके के गवाहान जब्ती अधिकारी पी.ड. 13 भारत रावत, पी.ड. 1 सहदेव, पी.ड. 2 जगदीश, पी.ड. 3 माधाराम, पी.ड. 4 लक्ष्मणराम, पी.ड. 5 उम्मेदसिंह ने भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद की है कि हस्तगत प्रकरण में मुखबिर की इत्तिला अनुसार अभियुक्त की कार में से अवैध मादक पदार्थ जप्त किया गया है अर्थात स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से, उसके शरीर पर से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त की कोइ बरामदगी नहीं हुई है बल्कि अभियुक्त की गाड़ी की पिछली सीट पर इत्तिला अनुसार बरामदगी की गयी है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में धारा 50 के प्रावधान

हस्तगत प्रकरण में आकृष्ट होते हों, ऐसा दृष्टिगत नहीं होता हो। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से प्रकरण में कोई प्रभाव पड़ता हो।

धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना के संबंध में विश्लेषण

19. अधिवक्ता अभियुक्त का एक अन्य तर्क यह रहा है कि हस्तगत प्ररकण में धारा 52 ए एनडीपीएस अधिनियम की अनुपालना नहीं की गई है। सैम्पल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गये हैं, इसलिये मुलजिमान को हस्तगत प्रकरण में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

20. इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य (2016)3 एससीसी 379** में अभिग्रहित स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों के व्ययन के संबंध में अधिनियम की धारा 52 ए की पालना किये जाने के निर्देश देते हुये यह प्रतिपादित किया है किः-

> "To sum up we direct as under:
>
> No sooner the seizure of any Narcotic Drugs and Psychotropic and controlled Substances and Conveyances is effected, the same shall be forwarded to the officer in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53 of the Act. The officer concerned shall then approach the Magistrate with an application under Section 52A(ii) of the Act, which shall be allowed by the Magistrate as soon as may be required under Sub- Section 3 of Section 52A, as discussed by us in the body of this judgment under the heading 'seizure and sampling'. The sampling shall be done under the supervision of the magistrate as discussed in paras 13 and 14 of this order.
>
> The Central Government and its agencies and so also the State Governments shall within six months from today take appropriate steps to set up storage facilities for the exclusive storage of seized Narcotic Drugs and Psychotropic and controlled Substances and Conveyances duly equipped with vaults and double locking system to prevent theft, pilferage or replacement of the seized drugs. The Central Government and the State Governments shall also designate an officer each for their respective storage facility and provide for other steps, measures as stipulated in Standing Order No. 1/89 to ensure proper security against theft, pilferage or replacement of the seized drugs."

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में केन्द्र सरकार के द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत धारा 52 ए के साथ पठित धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 को 23 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना से प्रकाशित किया गया, जिसके नियम 8 व 9 के अनुसार जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ से सैंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाना जांच अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। यह नियम भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ लागू किया गया है, जिसके नियम 1(2) में यह स्पष्ट

रूप से प्रावधित है कि उक्त नियम राजपत्र में इनके प्रकाश की तारीख से लागू होंगे। अतः उक्त नियम 23 दिसम्बर, 2022 से पूर्व संस्थापित प्रकरणों पर भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रभावी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि बरामदशुदा मादक पदार्थ के सैम्पल किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लिये गये हैं, तो इसका कोई विपरीत असर अभियोजन मामले पर नहीं पड़ता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **एन.सी.बी. बनाम कासिफ, आपराधिक अपील संख्या 5544/2024, निर्णय दिनांक 20.12.2024** में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है किः-

> "None of the provisions in the Act prohibits sample to be taken on the spot at the time of seizure, much less Section 52A of the said Act. On the contrary, as per the procedure laid down in the Standing Orders and Notifications issued by the NCB and the Central Government before and after the insertion of Section 52A till the Rules of 2022 were framed, the concerned officer was required to take samples of the seized contraband substances on the spot of recovery in duplicate in presence of the Panch witnesses and the person in whose possession the drug or substance recovered, by drawing a Panchnama. It was only with regard to the remnant substance, the procedure for disposal of the said substance was required to be followed as prescribed in Section 52A.
>
> At this stage, we must deal with the recent judgments in case of Simarnjit vs. State of Punjab, (Criminal Appeal No.1443/2023), in case of Yusuf @ Asif vs. State (2023 SCC Online SC 1328), and in case of Mohammed Khalid and Another vs. State of Telangana ((2024) 5 SCC 393) in which the convictions have been set aside by this Court on finding non-compliance of Section 52A and relying upon the observations made in case of Mohanlal. Apart from the fact that the said cases have been decided on the facts of each case, none of the judgments has proposed to lay down any law either with regard to Section 52A or on the issue of admissibility of any other evidence collected during the course of trial under the NDPS Act. Therefore, we have considered the legislative history of Section 52A and other Statutory Standing Orders as also the judicial pronouncements, which clearly lead to an inevitable conclusion that delayed compliance or non- compliance of Section 52A neither vitiates the trial affecting conviction nor can be a sole ground to seek bail. In our opinion, the decisions of Constitution Benches in case of Pooran Mal and Baldev Singh must take precedence over any observations made in the judgments made by the benches of lesser strength, which are made without considering the scheme, purport and object of the Act and also without considering the binding precedents."

23. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम का कोई भी प्रावधान यह निषिद्ध नहीं करता है कि जब्ती के समय मौके पर ही नमूना सैम्पल नहीं लिया जा सकता हो तथा धारा 52ए की अविलम्ब अनुपालना अथवा गैर-अनुपालना अभियुक्त

को दोषसिद्ध किए जाने का या अभियोजन के मामले को निष्प्रभावी बनाये जाने का आधार नहीं हो सकती।

24. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **भारत आम्बले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, निर्णय दिनांक 06.01.2025 क्रिमिनल अपील नंबर 250/2025** के पैरा नंबर 50 में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित किया है किः-

> "The procedure prescribed by the Standing Order(s) / Rules in terms of Section 52A of the NDPS Act is only intended to guide the officers and to see that a fair procedure is adopted by the officer in-charge of the investigation, and as such what is required is substantial compliance of the procedure laid therein.
>
> (V) Mere non-compliance of the procedure under Section 52A or the Standing Order(s) / Rules thereunder will not be fatal to the trial unless there are discrepancies in the physical evidence rendering the prosecution's case doubtful, which may not have been there had such compliance been done. Courts should take a holistic and cumulative view of the discrepancies that may exist in the evidence adduced by the prosecution and appreciate the same more carefully keeping in mind the procedural lapses.
>
> (VI) If the other material on record adduced by the prosecution, oral or documentary inspires confidence and satisfies the court as regards the recovery as-well as conscious possession of the contraband from the accused persons, then even in such cases, the courts can without hesitation proceed to hold the accused guilty notwithstanding any procedural defect in terms of Section 52A of the NDPS Act. (VII) Non-compliance or delayed compliance of the said provision or rules thereunder may lead the court to drawing an adverse inference against the prosecution, however no hard and fast rule can be laid down as to when such inference may be drawn, and it would all depend on the peculiar facts and circumstances of each case."

25. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही अभिनिर्धारित किया है कि धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की गैर अनुपालना या देरी से की गई अनुपालना अभियोजन के मामले को खण्डित नहीं करती है।

26. हस्तगत प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उक्त साक्ष्य से अभियोजन ने यह साबित किया है कि मौके पर जब्ती के समय ही सैम्पल लिये गये और मौके पर ही सीलबंद किये गये। उसके पश्चात धारा 55 व धारा 57 की अनुपालना की गई है तथा अक्षुण अवस्था में मौके से जब्त किया गया मादक पदार्थ जमा मालखाना हुआ है और मालखाना से पुनः अक्षुण अवस्था में वास्ते एफएसएल जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचाया। इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्त से जब्तशुदा मादक पदार्थ की श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त जब्तशुदा पदार्थ का जब्ती के दिवस से अक्षुण अवस्था में रहते हुए जांच हेतु एफएसएल पहुंचने के तथ्य को साबित किया है तथा हस्तगत प्रकरण में 52 ए की अनुपालना करते हुए बाद में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्तशुदा सामग्री की

इन्वेन्ट्री की गई है, मौके पर जब्तशुदा मादक पदार्थ के फोटोग्राफ लिये गये हैं तथा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी लिये गये हैं। उक्त इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 21, इन्वेन्ट्री सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 22, इन्वेन्ट्री के दौरान चिट चेपा की फर्दात प्रदर्श पी 23 लगायत 25 व इन्वेन्ट्री के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 26 लगायत 28 के रूप में प्रदर्शित हुये हैं जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य को संपुष्ट करते हैं।

27. ऐसे में ऊपर किये गये विश्लेषण व ऊपर उल्लेखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में 52 ए की कार्यवाही बाद में संपादित किये जाने से तथा मौके पर सैम्पल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिये जाने से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार अधिवक्ता अभियुक्त की उक्त आपत्तियां भी मानने लायक नहीं है।

अधिनियम की धारा 57 की अनुपालना के संबंध में विश्लेषण

28. धारा 57 अधिनियम की अनुपालना के संबंध में साक्षी पी.ड. 13 जब्ती अधिकारी भरत रावत ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि धारा 57 की सूचना उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है और धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 12 और प्रदर्श डी 1 के रूप में प्रदर्शित हुई है, जिस पर जी से एच पी.ड. 13 जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 12 पर ए से बी भाग में प्राप्ति की अभिस्वीकृति तथा सी से डी भाग में प्राप्तिकर्ता उच्चाधिकारी के मय दिनांक व समय अंकित करते हुए हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 1 में भी इ से एफ भाग में प्राप्तिकर्ता उच्चाधिकारी के प्राप्ति अभिलिखित करते हुए मय दिनांक व समय प्राप्ति के हस्ताक्षर है। पी.ड. 13 जप्ती अधिकारी भरत रावत व धारा 57 की इत्तिला का कैरियर नेमीचंद जो पी.ड. 9 के रूप में परीक्षित हुआ है, ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि धारा 57 की इत्तिला प्रदर्श पी 12 उसने उच्चाधिकारियों को दी थी, जिस पर सी से डी तत्कालीन एसपी के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 12 धारा 57 की इत्तिला पर जो हस्ताक्षर है, वे हस्ताक्षर अग्रेषण पत्र एसपी कार्यालय प्रदर्श पी 7 पर किये गये एडिशनल एसपी के हस्ताक्षरों से पूर्णतया मेल खाते है। प्रदर्श पी 12 धारा 57 की इत्तिला पर प्राप्ति की अभिस्वीकृति के नीचे हस्ताक्षर के साथ दिनांक व समय का अंकन है जिसमें स्पष्ट रूप से दिनांक 24.07.2014 को 11:30 एएम पर धारा 57 की इत्तिला प्राप्ति का अंकन है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 16 में धारा 57 की इत्तिला प्रेषित करने बाबत पी.ड. 9 नेमीचंद की रवानगी व वापसी पत्रावली पर संलग्न है, जो पूर्ण रूप से इस तथ्य की ताइद करते है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 57 एनडीपीएस एक्ट में विहित समयावधि में सपूर्ण कार्यवाही की इत्तिला उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी है।

अधिनियम की धारा 55 की अनुपालना के संबंध में

29. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.ड. 13 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो स्पष्ट रूप से कथन करता है कि मौके पर जो मादक पदार्थ बरामद हुआ था उसे मालखाना में जमा करवाते समय थाने की सील से रिसील किया गया था। जब्ती प्रदर्श पी 1 के रूप में प्रदर्शित हुई है, जिसमें कार्यवाही पुलिस आई से जे भाग में हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल रिसील किए जाने का उल्लेख है। धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 20 के रूप में प्रदर्शित हुई है, जो उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करती है कि हस्तगत प्रकरण में बरामदशुदा माल जमा मालखाना करते समय धारा 55 की पालना करते हुए रिसील किया गया था। मालखाना इंचार्ज भगवानाराम पी.ड. 11 के रूप में परीक्षित हुआ है। यह साक्षी भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद करता है कि जब्ती अधिकारी भारत रावत ने हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल जमा मालखाना करवाया तब उसे थाने की सील से

रिसील किया गया था। ऐसे में पत्रावली पर इस बाबत् आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 55 के प्रावधानों की पालना करते हुए प्रकरण में जब्तशुदा सैम्पल व पैकेट को मालखाना में जमा करने से पूर्व थाने की सील से रिसील किया गया था।

अभियुक्त से मादक पदार्थ बरामद होने संबंधी साक्ष्य

30. उक्त बिन्दु को साबित करने के लिये अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्षी जब्ती अधिकारी भारत रावत को पी.ड. 13 के रूप में परीक्षित करवाया है। यह साक्षी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 23.07.2014 को वह खींवसर एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन 07:30 पीएम पर उसे मुखबिर की सूचना मिली कि एनएच 65 सरहद लालावास जोगेश्वर भोजनालय के पीछे भंवरसिंह निवासी नागड़ी की सफेद इंडिगो कार आरजे 21 टीए 1310 खड़ी है, जिसमें अवैध डोडा पोस्त है। इस सूचना पर धारा 42(2) एनडीपीएस की सूचना मुर्तिब कर जरिये कानि. नेमीचंद के उच्चाधिकारियों को सूचना भेजी गयी तथा मन एसएचओ द्वारा मय जाप्ता कार्यवाही हेतु 8.00 पीएम पर रवाना हुए तथा 8.10 पीएम पर मुखबिर सूचना मुताबिक स्थान पर पहुंचे, जहां पुलिस जाप्ते को देख सफेद इंडिगो कार नं आरजे 21 टीए 1310 से भागने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को रोका, डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरसिंह होना बताया। अग्रिम कार्यवाही कानि. माधाराम को हुक्मनामा देखकर स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु भेजा, जो 8.45 पीएम पर वापस आया और स्वतंत्र मौतबीर नहीं मिलना बताया, जिस पर कानि. सहदेव व जगदीश को स्वतंत्र मौतबीर बनाकर मुखबिर की सूचना अनुसार कार की तलाशी ली गयी तो कार के पीछे वाली सीट पर टाट की बोरी में डोडा पोस्त भरा मिला। उसने व जाप्ते ने अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर उसे डोडा पोस्त होना पाया। अभियुक्त भंवरसिंह के पास उक्त डोडा पोस्त कब्जे में रखने बाबत कोई लाइसेंस नहीं था। डोडा पोस्त का मौके पर वजन किया गया तो वजन 8 किलो होना पाया गया, जिसमें से 500-500 ग्राम के नमूना सेंपल व कंट्रोल सेंपल निकालकर सफेद कपडे की थैली में रखा जाकर मुझ एसएचओ की निजी सील से सील मोहर कर नमूना सेंपल पर मार्क ए, कंट्रोल सेंपल पर मार्क बी अंकित किया। शेष सात किलो डोडा पोस्त को उसी टाट की बोरी में रहने दिया जाकर उसे भी मन एसएचओ की निजी सील से सील मोहर कर मार्क सी अंकित किया तथा इंडिगो कार को जरिये फर्द जप्त किया। कार में मिले कागजात, आरसी, फिटनेस, परमिट को भी जप्त किया, जिसके आधार पर कार मालिक भंवरसिंह होना पाया गया। निजी सील को मौके पर ही पत्थर मारकर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण निजी सील मुर्तिब की गयी। थाने पहुचंकर आर्टिकल को रिसील कर धारा 55 की फर्द मुर्तिब की गयी। जप्तशुदा आर्टिकल मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान पांचौड़ी एसएचओ साहब को सुपुर्द किया गया। धारा 50 का नोटिस भंवरसिंह को नहीं दिया गया था क्योंकि अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु भंवरसिंह की व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गयी। जप्ती प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, आई से जे कार्यवाही पुलिस का अंकन है, के से एल मुल्जिम भंवरसिंह के हस्ताक्षर है। एम से एन माधाराम के हस्ताक्षर है। तीन जगह एक्स स्थान पर निजी सील का अंकन है। प्रदर्श पी 11 फर्द इत्तिला है, जिस पर ए से बी प्राप्ति का अंकन है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 5 फर्द पहचान मादक पदार्थ है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 18 उसकी तरफ से कानि माधाराम को स्वतंत्र मौतबीर की तलबी हेतु दिया गया हुक्मनामा, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी माधाराम का लिखित जवाब तथा ई से एफ माधाराम के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 2 अभियुक्त भंवरसिंह की गिरफ्तारी है जिस पर ए से बी व सी से डी

गवाहान के हस्ताक्षर है। ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह के, जी से एच उसके, आई से जे तिलोकसिंह के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 3 इंडिगो कार की जप्ती है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 4 कार के दस्तावेजों की जप्ती है, जिस पर भी ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 13 आईओ द्वारा बनाया गया घटनास्थल नक्शा मौका है, जो उसकी निशानदेही से बनाया गया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 19 फर्द नष्टीकरण सील है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। प्रदर्श पी 20 धारा 55 एनडीपीएस की फर्द है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर थाने की सरकारी सील का अंकन है। प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल की इंवेन्ट्री सक्षम न्यायालय द्वारा की गयी थी, जो प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 22 इंवेन्ट्री सत्यापन का प्रमाण पत्र है। चिट चेपा मार्क 1 प्रदर्श पी 23 है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब, सी से डी उसके व ई से एफ मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। चिट चेपा मार्क 2 प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब, सी से डी उसके व ई से एफ मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। चिट चेपा मार्क एस प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब, सी से डी उसके व ई से एफ मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 26, 27 व 28 इंवेन्ट्री के दौरान लिये गये फोटोग्राफ है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर व सील का अंकन है। प्रदर्श पी 29 एफएसएल रिपोर्ट है। धारा 57 की सूचना भिजवाने का नोटिस प्रदर्श पी 12 है, जिस पर जी से एच दो जगह उसके हस्ताक्षर है। हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत नमूना सैम्पल, जो सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद है जिस पर चिट चेपा चस्पा कर जो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, इस साक्षी ने प्रस्तुत नमूना सैम्पल को प्रदर्शित कराते हुए चिट चेपा पर अपने ए से बी हस्ताक्षर होने कथित किये है। सी से डी अभियुक्त भंवरसिंह के, ई से एफ, जी से एच मौतबीर गवाहान के, तीन जगह एक्स स्थान पर निजी नमूना सील का अंकन है। आर्टिकल पर जो नमूना सील लगी है, उस पर आर.ए.जे. एफएसएल लिखा है तथा सील के बीच में जेपीआर लिखा है। आर.ए.जे. एफएसएल के बार एल.ए.आर.सी.ओ लिखा हुआ है जो आर्टिकल 1 है, जिस पर मार्क 1 है। कपड़े की थैली के अंदर अवैध मादक पदार्थ छिलकेनुमा डोडा पोस्त है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

31. जिरह में साक्षी कथन करता है कि प्रदर्श पी 11 फर्द इत्तिला का थाने में रवाना होने से पहले उसने खींवसर थाना के रोजनामचा रजिस्टर में इंद्राज किया था। प्रदर्श पी 11 फर्द इत्तिला पर सी से डी हस्ताक्षर सीओ साहब भंवरसिंह सिसोदिया के हो सकते है। यह सही है कि प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 1 दोनों का समय 10.00 पीएम अंकित है। यह सही है कि उसने न्यायालय से सर्च वारण्ट ले लिया। अजखुद कहा माल खुर्दबुर्द होने की संभावना के कारण प्राप्त नहीं किया। प्रदर्श पी 2 व 3 उसने घटनास्थल पर तैयार की थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 2 में गिरफ्तारी का समय अंकित नहीं है। यह सही है कि उसने प्रदर्श पी 1 दिनांक 23.07.2014 को 10.00 पीएम पर तैयार की थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 1 पर निजी सील लगाने के पश्चात उस सील को नष्ट किया गया था। यह सही है कि नष्टीकरण निजी सील की फर्द प्रदर्श पी 19 है, जिस पर आई से जे हिस्से में समय 09:45 पीएम अंकित है। यह सही है कि प्रदर्श पी 20 के आई से जे हिस्से में समय का अंकन नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 7 पर ए से बी भाग एडिनशल एसपी साहब के हस्ताक्षर है। यह सही है कि प्रदर्श पी 12 के ई से एफ भाग पर दिनांक पर कांटछांट है। यह सही है कि

प्रदर्श पी 12 की प्रति प्रदर्श डी 1 है। यह सही है कि प्रदर्श पी 12 का पत्र क्रमांक 2800 है तथा प्रदर्श डी 1 का पत्र क्रमांक 2801 है क्योंकि दोनों दस्तावेज एक दूसरे की प्रति है और दोनों भिन्न पत्रांक के माध्यम से डिस्पैच किये गये है इसलिए उनके पत्रांक भिन्न भिन्न है। प्रदर्श पी 11 व 12 को उच्चाधिकारियों को भेजने का इंद्राज डिस्पैच रजिस्टर में किया था। यह सही है कि डिस्पैच रजिस्टर पत्रावली पर नहीं हैं। प्रदर्श पी 22 से 28 की कार्यवाही पुलिस थाना खींवसर में हुई थी। इस प्रकार यह साक्षी अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को साबित करता है कि मुखबिर की इत्तिला पर अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे में से उसकी कार के पीछे की सीट पर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त 8 किलो बरामद हुआ है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम में भी प्रावधानानुसार मौके पर जप्त किया गया। जिरह में भी यह साक्षी पूर्णतः अकाट्य रहा।

32. मौके के अन्य चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह पी.ड. 1 सहदेव परीक्षित हुआ है जो मुख्य परीक्षा में जप्ती अधिकारी के कथनों की ताईद करता है कि वह जप्ती अधिकारी के साथ दिनांक 23.07.2014 को पुलिस थाना खींवसर से मुखबिर की इत्तिला पर उसके बताये अनुसार स्थान पर गये थे और वहां अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे में से उसके कब्जे की इंडिगो गाड़ी पीछे की सीट से आठ किलो डोडा पोस्त टाटनुमा बोरी में बरामद हुआ तथा उसे मौके पर जरिये प्रदर्श पी 1 जप्त किया गया और मौके पर ही नियमानुसार नमूना सेंपल व कंट्रोल सेंपल लिये गये।

33. इसी प्रकार मौके के अन्य गवाह पी.ड. 2 जगदीश, पी.ड. 3 माधाराम, पी.ड. 4 लक्ष्मणराम, पी.ड. 5 उम्मेदसिंह आदि परीक्षित हुए हैं, जो मुख्य परीक्षा में पूर्ण रूप ये इस तथ्य की ताईद करते हैं कि दिनांक 23.07.2014 को मुल्जिम के कब्जे में से उसके कब्जेशुदा कार में पीछे की सीट पर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त 8 किलो बरामद हुआ, जिसे जरिये प्रदर्श पी 1 जप्त किया गया तथा मौके पर ही नियमानुसार सैंपल व कंट्रोल सैंपल लिये गये। इस प्रकार मौके के उक्त समस्त गवाहान पूर्ण रूप से इस तथ्य की ताईद करते है कि दिनांक 23.07.2014 को अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे में से उसकी इंडिगो कार नं आरजे 21 टीए 1310 में पीछे वाली सीट पर टाट की बोरी में आठ किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया, जिसे कब्जे में रखने बाबत उसके पास कोई वैध लाइसेंस आदि नहीं था। मौके पर तैयार की गयी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2, जप्ती इंडिगो कार प्रदर्श पी 3, जप्ती असल आरसी व परमिट आदि प्रदर्श पी 4, फर्द पहचान मादक पदार्थ प्रदर्श पी 8, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 14 लगायत 16, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 17, हुक्मनामा स्वतंत्र गवाहान प्रदर्श पी 18, फर्द सील नष्टीकरण प्रदर्श पी 19, इन्वेंट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 21, इंवेंट्री सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 22, चिट चेपा फर्द प्रदर्श पी 23 लगायत 25, फोटोग्राफ इंवेंट्री प्रदर्श पी 26 लगायत 28, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 30 आदि दस्तावेजी साक्ष्य भी मौके के चश्मदीद गवाहान के तथ्यों की पूर्णतः ताईद करते हैं।

34. अधिवक्ता अभियुक्त का एक बचाव कथन यह है कि पी.ड. 1 व 2 ने मुल्जिम की गिरफ्तारी थाने में होनी बतायी है इसलिए अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे जप्ती को प्रमाणित नहीं कर पाया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मौके का जप्ती अधिकारी पी.ड. 13 भारत रावत व अन्य मौके के चश्मदीद गवाह पी.ड. 3 माधाराम, पी.ड. 4 लक्ष्मणराम व पी.ड. 5 उम्मेदसिंह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उक्त मौके की फर्दात, फर्द गिरफ्तारी सहित मौके पर ही तैयार की गयी थी। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 के अवलोकन से भी यही दृष्टिगत होता है कि फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही बनायी गयी है। हस्तगत प्रकरण में जो अभियुक्त के जो बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये है, उक्त बयान मुल्जिम में अभियुक्त ने कहीं यह कथन नहीं किया है कि उसे थाने पर गिरफ्तार किया गया हो। इस प्रकार केवल मात्र गवाह

सं 1 व 2 के कह देने मात्र से, जो कि अन्य मौके के गवाहान व दस्तावेजी साक्ष्य से संपुष्ट नहीं होते है। यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में थाने पर गिरफ्तार किया गया।

35. अधिवक्ता अभियुक्त का एक बचाव कथन यह रहा है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 पर 10.00 पीएम का समय तथा फर्द नष्टीकरण निजी सील प्रदर्श पी 19 पर समय 09:45 पीएम अंकित है जब 09:45 पीएम पर ही सील नष्ट कर दी गयी थी तो 10:00 पीएम पर जप्ती पर यह सील कैसे आ गयी। इसलिए अभियोजन जप्ती साबित नहीं कर पाया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मौके के सभी चश्मदीद गवाहान ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 तैयार करने के पश्चात जप्ती अधिकारी की निजी सील नष्ट करने के कथन किये हैं। जप्ती अधिकारी स्वयं पी.ड. 13 के रूप में परीक्षित हुआ है। यह साक्षी स्पष्ट रूप से कथन करता है कि फर्द जप्ती करने के पश्चात मौके पर ही फर्द नष्टीकरण सील तस्दीक की गयी। इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 1 भी जप्ती अधिकारी के उपरोक्त कथनों की ही संपुष्टि करता है। इस प्रकार फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 19 पर समय 09:45 पीएम गलत अंकित हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि जप्ती से पूर्व ही उक्त सील को नष्ट कर दिया गया हो बल्कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि मौके पर ही हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ जरिये प्रदर्श पी 1 जप्त किया गया है और जप्त करने के पश्चात जरिये प्रदर्श पी 19 निजी सील जप्ती अधिकारी, जिससे उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अपनी निजी सील से सीलबंद किया गया था, को मौके पर ही नष्ट किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार फर्द नष्टीकरण प्रदर्श पी 19 में समय गलत अंकित हो जाने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत असर पड़ता हो ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है।

36. अधिवक्ता अभियुक्त का एक तर्क यह है कि हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। केवल पुलिसकर्मियों की साक्ष्य से अभियोजन फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 व मौके के अन्य दस्तावेजात को साबित नहीं कर पाया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि न्यायालय को साक्षियों की संख्या नहीं देखनी है बल्कि साक्ष्य की गुणवता देखनी है। स्वतंत्र गवाह पी.ड. 7 ताजाराम हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, परंतु जप्ती अधिकारी व मौके के चश्मदीद गवाहान जो कि पुलिसकर्मी है, ने अपनी साक्ष्य से मौके पर तैयार की गयी जप्ती आदि फर्दातों को साबित किया है। ऐसे में स्वतंत्र गवाह पी.ड. 7 ताजाराम के हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही हो जाने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि मौके के चश्मदीद गवाह (पुलिसकर्मी) की साक्ष्य को पूर्णतः अमान्य कर दिया जावे। मौके के चश्मदीद पुलिसकर्मी गवाह पी.ड. 13 जब्ती अधिकारी भरत रावत, मौके के गवाह पी.ड. 1 सहदेव, पी.ड. 2 जगदीश, पी.ड. 3 माधाराम, पी.ड. 4 लक्ष्मणराम, पी.ड. 5 उम्मेदसिंह ने उपरोक्त तथ्यों को साबित किया है कि हस्तगत प्रकरण में मुलजिम के चेतन्य कब्जे में से अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है, जिसमें से मौके पर ही नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लेते हुए नियमानुसार सीलबंद किया गया है तथा जिस सील से उक्त आर्टिकल को सीलबंद किया गया है, उस सील को भी जरिए फर्द प्रदर्श पी 19 नष्ट किया गया है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **2001 (1) SCC 748, NCT of Delhi Vs Sunil** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः-

> **"पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखने की उपधारणा परिवर्तित होनी चाहिए।"**

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2003 (SC) 1311 Karmjit Singh Vs State (Dehli Administration)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः-

> "**The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses their testimony cannot be relied upon. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of police personnel as of other persons and it is not a proper judicial approach to distrust and suspect them without good grounds.**"

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **2013 Supreme (SC) 493, Kashmiri Lal Vs State of Haryana** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः-

> **"There is no absolute command of law that the police officers cannot be cited as witnesses and their testimony should always be treated with suspicion. Ordinarily, the public at large show their disinclination to come forward to become witnesses. If the testimony of the police officer is found to reliable and trustworthy, the court can definitely act upon the same."**

40. इस प्रकार उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में यह नहीं माना जा सकता कि मौके के पुलिसकर्मी, जो कि मौके चश्मदीद गवाहान हैं, की साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया जाए। हस्तगत प्रकरण में इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 21, इंवेंट्री सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 22, चिट चेपा फर्द प्रदर्श पी 23 लगायत 25, इंवेंट्री कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 26 लगायत 28 के रूप में प्रदर्शित हुए हैं। इन्वेन्ट्री रिपोर्ट भी अभियोजन के ही तथ्यों की ताईद करती है।

41. अधिवक्ता अभियुक्त का एक बचाव यह रहा है कि इन्वेन्ट्री कार्यवाही में हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ का जो वजन आया है, वह हस्तगत प्रकरण में जब्ती में वर्णित मादक पदार्थ के वजन से भिन्न है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि इन्वेंट्री के दौरान हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा मुद्दा माल मार्क सी का वजन 6 किलो 700 ग्राम जूट के बोरे सहित आया है तथा कंट्रोल सेंपल मार्क बी का वजन 370 ग्राम पैकिंग सहित पाया गया है तथा हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से 8 किलो डोडा पोस्त जरिए प्रदर्श पी 1 बरामद हुआ है तथा उसमें से मौके पर 500-500 ग्राम के दो सेंपल एक कंट्रोल सेंपल व एक नमूना सैंपल के तौर पर लिये गये हैं। नमूना सैंपल को मार्क ए, कंट्रोल सैंपल को मार्क बी व शेष मुद्दा माल को मार्क सी अंकित करते हुए जप्त किया है। इस प्रकार मौके पर जप्ती के समय नमूना सेंपल मार्क ए 500 ग्राम, कंट्रोल सेंपल मार्क बी 500 ग्राम तथा शेष मुद्दा माल मार्क सी 7 किलो था। हस्तगत प्रकरण में इंवेंट्री कार्यवाही वर्ष 2016 में संपादित की गयी है। इंवेंट्री कार्यवाही के दौरान मार्क बी व सी का वजन क्रमशः 370 ग्राम व 6 किलो 700 ग्राम मय पैकिंग सामग्री के पाया गया है, जिसमें थानाधिकारी ने जप्ती के समय से मार्क बी और सी का वजन कम होने का कारण मादक पदार्थ का सूख जाना बताया है। हस्तगत प्रकरण में इंवेंट्री कार्यवाही जप्ती के दो साल बाद संपादित की गयी है। अवैध डोडा पोस्त के सूख जाने की संभावना से उसके वजन में इंवेंट्री के दौरान कमी आने के तथ्यों का कारण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में दो साल बाद हुई इंवेंट्री कार्यवाही के

दौरान मार्क बी व सी के वजन में अंतर दृष्टिगत होने से उपरोक्त विश्लेषणानुसार अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। अतः उपरोक्त विश्लेषणानुसार अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त बचाव आधार मानने लायक नहीं है।

42. इस प्रकार अभियोजन पक्ष मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर चुका है कि अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे में से उसकी स्वामित्वशुदा/कब्जेशुदा इंडिगो कार नं आरजे 21 टीए 1310 में पीछे की सीट पर से टाट की बोरी में आठ किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है, जिसे कब्जे में रखने बाबत उसके साथ कोई वैध लाइसेंस आदि नहीं था।

43. धारा 35 एनडीपीएस एक्ट यह उपबंधित करता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के ऐसे अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी।

44. धारा 54 एनडीपीएस एक्ट यह उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के अधीन विचारण में जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा की जायेगी कि अपराधी ने किसी ऐसी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ , जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप से हिसाब देने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है।

45. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **Megh Singh Vs State of Punjab AIR 2003 SC 3184, Madan Lal Vs State of Himachal Pradesh (2003) 7 SCC 465 व Noor Aga Vs State of Punjab and Anr. (2008) 16 SCC 417** में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक बार अभियोजन द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि अवैध मादक पदार्थ अभियुक्त के कब्जे में से बरामद हुआ है तो वहां जो व्यक्ति यह दावा करता है कि कब्जा सचेत रूप से नहीं था, उसे ही यह तथ्य साबित करने होंगे कि उसका कब्जे सचेत नहीं था क्योंकि कब्जा कैसे हुआ यह तथ्य उस व्यक्ति के ही विशेष ज्ञान में रहता है।

46. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया है कि अभियुक्त के कब्जे से ही अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ। हस्तगत प्रकरण में जरिये प्रदर्श पी 5 इंडिगो कार नंबर आर जे 21 टीए 1310 में से ही असल रजिस्ट्रेशन व परमिट आदि को भी जप्त किया गया है जो अभियुक्त द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिए गए हैं। उक्त रजिस्ट्रेशन व फिटनेस की प्रति पत्रावली है, जिसमें स्पष्ट रूप से उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक अभियुक्त भंवरसिंह होना अंकित है। पी.ड. 8 के रूप में गवाह प्रेमराज परीक्षित हुआ है जो तत्समय जिला परिवहन अधिकारी नागौर के पद पर तैनात था, उसने कथन किया है कि उक्त वाहन आरजे 21 टीए 1310 के संबंध में स्वामित्व बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना पांचौड़ी पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। थानाधिकारी का पत्र प्रदर्श पी 10 है और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उसने उक्त वाहन का मालिक अभियुक्त भंवरसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह का होना कथित किया है।

47. उक्त मादक पदार्थ पर अभियुक्त के सचेत कब्जा नहीं हो, इस तथ्य को स्थापित करने का भार अभियुक्त पर था। परन्तु अभियुक्त द्वारा इस संबंध में किसी तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की

है, न ही बयान मुलजिम में अभियुक्त ने इस संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त धारा 35 और 54 के तहत की जाने वाली उपधारणा को खंडित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसके विपरीत अभियोजन ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित किया है कि अभियुक्त भंवरसिंह के चैतन्य कब्जे में से उसके कब्जे व स्वामित्व के वाहन आरजे 21 टीए 1310 की पिछली सीट पर से 8 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ और धारा 35 व 54 एनडीपीएस एक्ट के तहत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपधारणा करने के भी पर्याप्त आधार है कि अपराध के समय अभियुक्त की अपराध कारित करने बाबत् मानसिक दशा थी तथा अवैध मादक पदार्थ पर अभियुक्त का सचेत कब्जा था। इस प्रकार अभियोजन उपर्युक्त विश्लेषणानुसार बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ पर सचेत कब्जा एवं अपराध करने की मानसिक दशा को साबित करने में सफल रहे हैं।

48. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में धारा 35 व 54 के प्रकाश में तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 11 लगायत 20 से तथा मौके के चश्मदीद गवाहान पी.ड. 13 जब्ती अधिकारी भारत रावत, पी.ड. 1 सहदेव, पी.ड. 2 जगदीश, पी.ड. 3 माधाराम, पी.ड. 4 लक्ष्मणराम, पी.ड. 5 उम्मेद सिंह के सशपथ बयानों से अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 23.07.2014 को अभियुक्त के चैतन्य कब्जे में से 08 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसे अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने बाबत् उनके पास किसी तरह का लाइसेंस व परमिट नहीं था। उक्त बरामदशुदा मादक पदार्थ को मौके पर नियमानुसार जरिए प्रदर्श पी 1 जप्ती अधिकारी भरत रावत पीडब्ल्यू 13 की निजी सील से सीलबंद किया गया एवं मौके पर ही 500-500 ग्राम के नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लेते हुए नियमानुसार जप्ती अधिकारी भरत रावत पीडब्लयू 13 की निजी सील से सीलबंद करने के उपरान्त उक्त सील को मौके पर ही जरिए फर्द प्रदर्श पी 19 के नष्ट किया गया है। इसके विपरीत अभियुक्त द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो यह दर्शित करती हो कि हस्तगत प्रकरण में उससे बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त पर उसका कब्जा चैतन्य रूप से न हो।

श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य

49. अभियोजन दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित कर चुका है कि अभियुक्त भंवरसिंह सिंह चेतन्य कब्जे में से 8 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ तथा उनमें से नियमानुसार नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल प्रत्येक 500-500 ग्राम लिए जाकर मौके पर जप्ती अधिकारी पी.ड. 13 की निजी सील से सीलबंद किए गए तत्पश्चात मौके पर ही जप्ती अधिकारी पी.ड. 13 की उक्त निजी सील जरिए प्रदर्श पी 19 नष्ट कर दी गयी।

50. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ उचित अभिरक्षा में रहते हुए सीलबंद अवस्था में जमा मालखाना हुआ है, इस तथ्य की सम्पुष्टि जब्ती अधिकारी पी.ड. 13 भारत रावत ने की है। इसके अतिरिक्त पी.ड. 11 भगवानाराम, जो कि तत्समय मालखाना इंचार्ज था, ने भी इस तथ्य की सम्पुष्टि की है कि जब्ती के दिवस ही प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत मय नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल सीलबंद अवस्था में जमा मालखाना हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 17, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 पर इस बाबत् इंद्राज से होती है।

51. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ का नमूना सैम्पल सीलबंद अवस्था में उचित अभिरक्षा में रहते हुए एफएसएल पहुंचा, इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने

मालखाना इंचार्ज पी.ड. 11 भगवानाराम को परीक्षित करवाया है। यह साक्षी स्पष्ट रूप से इस तथ्य की सम्पुष्टि करता है कि उसने हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा नमूना सेंपल मार्क ए एफएसएल में जमा कराने हेतु राजेश कानि. को दिया था, जिसने एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर उक्त पैकेज नमूना सैंपल मार्क ए एफएसएल में जमा कर दिनांक 28.07.2014 को जमा रसीद लाकर मालखाना में जमा करायी थी। पी.ड. 10 के रूप में गवाह चंदाराम परीक्षित हुआ है जो इस बात की पुष्टि करता है कि हस्तगत प्रकरण में राजेश कानि. नमूना सेंपल मार्क ए एसएचओ के अग्रेषण पत्र सहित एसपी कार्यालय में आया था, जिसे एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 7 जारी करके नमूना सेंपल एफएसएल में जमा कराने हेतु उसने सुपुर्द किया था। कैरियर राजेश पी.ड. 6 के रूप में परीक्षित हुआ है। यह साक्षी इस तथ्य की ताईद करता है कि दिनांक 27.07.2014 को उसने हस्तगत प्रकरण में मालखाना इंचार्ज भगवानाराम से जप्तशुदा सीलबंद नमूना सैंपल एसएचओ के अग्रेषण पत्र सहित प्राप्त कर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र तैयार करा नमूना सैंपल को सीलबंद अवस्था में ही मय अन्य दस्तावेजात एफएसएल पहुंचाया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 17 के रूप में प्रदर्शित हुआ है, जिस पर नमूना सैंपल सीलबंद अवस्था में कैरियर राजेश कानि. द्वारा एफएसएल में जमा करा रसीद प्रस्तुत करने का इंद्राज है। अग्रेषण पत्र थानाधिकारी प्रदर्श पी 6 और अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रदर्श पी 7 के रूप में प्रदर्शित हुआ है। उक्त दोनों दस्तावेजात इस तथ्य की ताईद करते है कि राजेश कानि. हस्तगत प्रकरण में नमूना सैंपल सीलबंद अवस्था में एफएसएल में जमा कराने हेतु गया। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 8 के रूप में प्रदर्शित हुई है जो इस तथ्य की पुष्टि करती है कि हस्तगत प्रकरण में नमूना सैंपल सीलबंद अवस्था में विशेष वाहक राजेश कानि. ने एफएसएल जयपुर में पहुंचाया। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 29 के रूप में प्रदर्शित हुई है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 8 व एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 29 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि हस्तगत प्रकरण में नमूना सैंपल मार्क ए सीलबंद अवस्था में जिस वजन का वह जरिये प्रदर्श पी 1 जप्त किया गया था उसी वजन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचा है। अनुसंधान अधिकारी जो पी.ड. 12 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी अपनी साक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों की ताईद की है।

52. इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य साबित कर चुका है कि हस्तगत प्रकरण में मौके पर से जो नमूना सैम्पल लिए गए थे, वह सीलबंद अवस्था में ही उचित अभिरक्षा में रहते हुए एफएसएल पहुंचे हैं।

53. एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 29 के रूप में प्रदर्शित हुई है, जिसमें यह अंकित है किः-

> **"On microchemical analysis:-**
>
> **The extract of the sample packed in the packet marked A was found to contain chief constituents of opium, hence the sample is of dry crushed capsules of opium poppy from which juice has been extracted."**

54. इस प्रकार एफएसएल रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त भंवरसिंह से जब्तशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त है।

55. हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी छीतरसिंह पी.ड. 12 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो कथन करता है कि उसने अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 13 बनाया, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी परिवादी के, ई से एफ, जी से एच मौतबिरान के हस्ताक्षर है।

दौरोन अनुसंधान गवाह भारत रावत, सहदेव, जगदीश, लक्ष्मणराम, माधाराम, उम्मेदसिंह, अक्षय, ताजाराम, भगवानाराम, राजेश, नेमीचंद के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी के उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। नमूना सेंपल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 8 शामिल पत्रावली की। धारा 42 इत्तिला लेखबद्ध कर कानि. नेमीचंद के साथ उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने बाबत रोजनामचा रपट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 15 व 16 पर भी शामिल पत्रावली का अंकन ए से बी भाग में होकर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसे जिला परिवहन अधिकारी को आरजे 21 टीए 1310 के मालिक के संबंध में इत्तिला चाही थी। प्रदर्श पी 10 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिला परिवहन अधिकारी का जवाब ए से बी भाग में होकर सी से डी भाग में जिला परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर है। उसने अपने संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाया था।

56. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के आवश्यक प्रावधानों की पालना करते हुए अभियुक्त भंवरसिंह से 8 किलो अवैध डोडा पोस्त उनके चेतन्य कब्जे में से बरामद हुआ है, जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत् उनके पास कोई लाइसेंस आदि नहीं था।

57. अभियोजन ने इस तथ्य को भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि मौके पर ही अभियुक्त के चेतन्य कब्जे से बरामदशुदा डोडा पोस्त में से नियमानुसार सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिए जाकर मौके पर सीलबंद किए गए तथा हस्तगत प्रकरण में लिए गए नमूने सैम्पल उचित अभिरक्षा में रहते हुए सीलबंद अवस्था में एफएसएल पहुंचे और एफएसएल रिपोर्ट इस तथ्य की ताईद करती है कि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल अवैध डोडा पोस्त चूरा था। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं।

आदेश

58. अतः अभियुक्त भंवरसिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, निवासी नागड़ी, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर (राजस्थान) को जुर्म धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

सजा के बिन्दु पर

59. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त व विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त वर्ष 2014 से, लगभग 12 वर्षों से, अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हस्तगत प्रकरण के

तहत अभियुक्त पूर्व में भी पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

60. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रकरण के तहत अभियुक्त भंवरसिंह के चेतन्य कब्जे में से अवैध डोडा पोस्त कुल वजन 08 किलो बरामद हुआ है, जो लघु मात्रा से काफी अधिक व वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वर्तमान में इस क्षेत्र विशेष में ऐसे अपराधों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, जिससे आमजन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गंभीर प्रकृति का मामला है, इसलिये अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

61. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त भंवरसिंह के कब्जे में से कुल वजन 8 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ है, जो एनडीपीएस एक्ट की अनुसूची अनुसार अल्प मात्रा से अधिक एवं वाणिज्यक मात्रा से कम की श्रेणी में आता है। वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं, ऐसे अपराधों में हो रही वृद्धि का सामाजिक जीवन व युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त भंवरसिंह उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

62. अतः अभियुक्त भंवरसिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, निवासी नागड़ी, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर (राजस्थान) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित होने पर उक्त अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम अभियुक्त	दोषसिद्ध अपराध	कारावास की अवधि व प्रकार	जुर्माना	अदम अदायगी अर्थदण्ड कारावास
1.	भंवरसिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, निवासी नागड़ी, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर (राजस्थान)	8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	07 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/- रुपये	06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

63. अभियुक्त का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावें। प्रकरण के तहत अभियुक्त द्वारा पूर्व में व्यतीत की गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावें।

64. अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

65. अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत 10,000/- रुपए की जमानत एवं

इसी राशि का मुचलका पूर्व में आदेशानुसार पेश कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

66. प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त से संबंधित समस्त वजह सबूत, नमूना सैम्पल आदि बाद गुजरने मियाद अपील, प्रकरण में अपील/रिवीजन नहीं होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारण किये जाने हेतु संबंधित को तहरीर जारी हो।

67. अभियुक्त भंवरसिंह को निर्णय की निःशुल्क प्रति दी जाकर यह सूचित किया गया है कि वह चाहें तो इस निर्णय की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में कर सकता है और अपील के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

68. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर